न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/377 जिला–नागौर

देवाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर हाल निवास सारून्डा तहसील नौखा जिला बीकानेर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर दिनांक 24–08–2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या राजस्व/ 2022/267–269

उपस्थित–
1. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः–27–09–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तहसीलदार खींवसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के समक्ष गौचर भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत पटवारी हल्का पाचौडी की रिपोर्ट के आधार पर अवगत करया कि मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया और ग्राम पंचायत पाचौड़ी के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पाचौडी के ग्राम पाचौड़ तहसील खींवसर के खसरा नम्बर 584 रकबा 1.87777 हैक्टर में प्रभावित रकबा 0.1098 हैक्टर रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शे में करने का निवेदन किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर

द्वारा अपने आदेश दिनांक 5–8–2021 के द्वारा तहसीलदार, खींवसर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में रास्ता जो चालू है का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में करवाने के आदेश तथा जिसका स्वामित्व सरकारी रहेगा तहसीलदार खींवसवर को इस आदेश की पालना करने हेतु आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने बिना किसी रिव्यू प्रार्थना पत्र के उनके द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 5–8–2021 को उनके आदेश दिनांक 24–8–2022 को नॉन स्पीकिंग व विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर बिना किसी पक्षकार को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 5–8–2021 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि पटवारी हल्का एंव भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार खींवसर द्वारा धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 नियम 1957 के अन्तर्गत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश दिनांक 5–8–2021 पारित किया जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी का अंकन करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 को अपने आदेश दिनांक 24–8–2022 द्वारा निरस्त कर दिया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए स्वयं के निर्णय को बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र के निरस्त करने में घोर अवैधनिकता की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष किसी पक्षकार द्वारा ना तो कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त निर्णय की पालना होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी हो गया है जिसको बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के एवं बिना किसी पक्षकार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये मात्र कयासों के आधार पर विधि द्वारा प्रावधित सिद्धान्तों को ताक में रखकर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार खींवसर द्वारा धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, पटवारी व

भू–अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा के आधार पर तहसीलदार जिसमे ग्राम पंचायत पाचौडी के ग्राम पाचौडी के खसरा नम्बर 584 में ग्राम पंचायत के मौके पर चल रहे रास्तों का राजस्व रकार्ड में अंकन करवाने के संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र संख्या प.3 (2)राज–8 / 2003 पार्ट / 04 दिनांक 10–8–2016 के प्रसंग में ग्राम पंचायत पाचौडी में मौके पर चल रहे सार्वजनिक रास्ते को बारामासी तथा ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उलब्ध है। इस प्रकार इन रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना रास्तों की मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई जो मौका की वस्तुस्थिति अनुसार तैयार की गई है। जिस अनुसार रास्तों का अंकन राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है इसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में न्यायोचित आदेश दिनांक 5–8–2021 पारित किया जिसे स्वयं बिना किसी रिव्यू के आदेश दिनांक 24–8–2022 द्वारा निरस्त कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि कार्यालय ग्राम पंचायत पाचौडी के प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम नाहरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1422 / 582 व 1424 / 582 में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। खसरा नम्बर 1422 एवं 1424 के खातेदार ने अपनी खातदारी के खेत खसरा नम्बर 1423 / 582 रकबा 13 बिस्वा यानि 0.1098 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1424 / 582 में से 10 बिस्वा भूमि राज हक में समर्पण कर दी। उक्त सम्पूर्ण की कुल भूमि 1.03 बीघा के बदले खातेदार ने ग्राम पंचायत पाचौडी के ग्राम नाहरसिंहपुरा के सरकारी खसरा नम्बर 584 में से 13 बिस्वा एवं ग्राम नाहरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 422 में से 10 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा रास्ता घोषित कराना चाहता है। इस प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत ने विचार कर ग्राम पाचौडी के खसरा नम्बर 584 में से 13 बिस्वा एवं ग्राम नाहरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 422 में से 10 बिस्वा रास्ता हेतु आवंटन की जाती है तो ग्राम पंचायत पाचौडी को कोई एतराज नहीं होगा एवं प्रस्ताव संख्या 5 में भी ग्राम पाचौडी के खसरा नम्बर 584 व ग्राम नाहरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 422 की भूमि में से रास्ते के बदले सरकारी जमीन के बदले उनकी स्वयं की खातेदारी की खसरा नम्बर 1423 / 582 ग्राम नहरसिंहपुरा एवं खसरा नम्बर 1429 / 1424 कुल रकबा 0.1907 हैक्टर बारानी 2 का समर्पण किया गया। इसलिए अपीलार्थी द्वारा उक्त सरकारी आराजी के बदले स्वयं की आराजी को समर्पण किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 को सभी पक्षकारों को सुनकर मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय पारित किया और उक्त आदेश को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मात्र कयासों के आधार पर दिनांक 24–8–2022 को निरस्त कर किया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2022 को निरस्त किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार खींवसर के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार किया था। किन्तु जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 06–9–2021 द्वारा ग्राम पाचौड़ी के खसरा नम्बर 1423/582 रकबा 0.1098 हैक्टर भूमि चारागाह दर्ज किये जाने के संबंध में उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत पाचौडी ग्राम पाचौड़ी के खसरा नम्बर 1423/582 रकबा 0.1098 हैक्टर भूमि किस्म गौचर में से रकबा 0.1098 हैक्टर को रास्ते का अंकन पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 द्वारा किया गया था, को निरस्त कर गाम पाचौडी के खसरा नम्बर 1423/582 रकबा 0.1098 हैक्टर भूमि की किस्म गौचर में कर पूर्व आदेश दिनाक 5–8–2021 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, खींवसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम पंचायत पाचौडी ग्राम पाचौड़ी के खसरा नम्बर 1423/582, ग्राम नाहरसिंहपुरा के ख्सरा नम्बर 1429/1424 कुल रकबा 0.1907 हैक्टरर में से रकबा 0.1098 हैक्टर भूमि किस्म गौचर में से रकबा 0.1098 हैक्टर को रास्ते का अंकन करने का पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 द्वारा जारी कर दिये गये थे किन्तु उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर ने जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 6–9–2021 के क्रम में ग्राम पाचौडी के 1423/582 रकबा 0.1098 हैक्टर भूमि किस्म गौचर में से रकबा 0.1098 हैक्टर को रास्ते का अंकन बाबत पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 से कर दिया था जिसे प्रशासनिक आदेश दिनाक 24–8–2022 से निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पक्षकारान को सुने बिना पारित किये है जो उचित नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गौचर भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त ही गौचर भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा सकता है। पटवारी हल्का पाचौडी द्वारा भी ग्राम नाहरसिंहपुरा के 1423/582 रकबा 0.1098 किस्म गै0मु0गोचर भूमि में से 0.1098 हैक्टर भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार

खींवसर को प्रेषित किया था। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपने पत्र दिनांक 6–9–2021 द्वारा गौचर भूमि में से रास्ता राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के अन्तर्गत देय नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पक्षकारान को सुने बिना एकपक्षीय प्रशासनिक आदेश दिनांक 24–8–2022 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 5–8–2021 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2022 एक प्रशासनिक आदेश है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2021 व 24–8–2022 खारिज किया जाता है तथा मामला पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनकर पुनः नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर